चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

(12)

पत्रांक:- सम्बद्धता/2645

दिनांक:- 05.04.2003

प्राचार्य,
डी0पी0बी0एस0(पी0जी0),कालिज,
अनुपशहर,बुलन्दशहर।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 311/जी0एस दिनांक 31.03.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन डी0पी0बी0एस0(पी0जी0) कालेज अनूपशहर, बुलन्दशहर को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एंव परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा सुसंगत परिनियमो मे वर्णित एंव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों तथा मनाको के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्था का निरीक्षण अगले सत्र में कराया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा यह निरीक्षण आख्या प्रमाण पत्र सहित महामहिम कुलाधिपति के अवलोकनार्थ/निस्तारणार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित एंव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों तथा मनाको की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम ,1973 के सुसगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता को वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(4) एंव धारा 37(5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
5. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस,शिक्षकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में शासनादेश; संख्या: 1960/सत्तर-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एंव अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक मे कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा मे कुलपति जी के आदेशानुसार बी0एड0 एक वर्षीय पाठयक्रम में 100 सीटों की क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2002-2003, उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम मे छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

/

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी कमैटी सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

C.S.
Pl. dr ... Secretary

7/4/03

Seen